

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 18(1)साप्र/2/22/पार्ट-

जयपुर, दिनांक : 02.04.2024

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'एच श्रेणी' में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति दिनांक	राजकीय आवास संख्या
1.	61/2012	श्री महेश चन्द्र शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय रेलवे कोर्ट, जयपुर महानगर, जयपुर।	28.02.2037	एच-663 गांधी नगर
2.	4/2014	श्रीमती कंचन कंवर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर	30.06.2039	एच-656 गांधी नगर
3.	115/2017	श्री राजेश कुमार शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (ख-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2033	एच-659 गांधी नगर
4.	5/2014	श्रीमती ममता मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर	31.03.2046	एच-855 गांधी नगर
5.	6/2014	श्रीमती संतोष कंवर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकीय सर्वा. महाराजा मण्डल पुस्तकालय चौडारास्ता जयपुर	29.02.2033	एच-865 गांधी नगर
6.	7/2014	श्रीमती कमलेश कंवर सहायक कर्मचारी प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉली महाविद्यालय जयपुर	31.01.2025	एच-882 गांधी नगर
7.	1/2018	श्रीमती मोहिनी देवी शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कृषि (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.09.2044	एच-886 गांधी नगर
8.	8/2014	श्री मूलचंद मीणा सहायक कर्मचारी सचिव, लोकायुक्त सचिवालय जयपुर	31.08.2040	एच-888 गांधी नगर
9.	9/2014	श्री जितेन्द्र कुमार सैनी	30.06.2043	एच-892 गांधी नगर

RajKaj Ref
6452572



		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा प्रभारी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय बरकत नगर जयपुर		
10.	10/2014	श्रीमती मधु देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान पुलिस सीआईडी विशेष शाखा जयपुर	31.10.2040	एच-894 गांधी नगर
11.	3/2018	श्री महेश चन्द मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर शासन सचिवालय, जयपुर	31.08.2030	एच-897 गांधी नगर
12.	11/2014	श्री नन्द सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय भू प्रबंध अधिकारी जयपुर	31.07.2030	एच-902 गांधी नगर
13.	12/2014	श्री झाबर सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निदेशक, पशुपालन विभाग राजस्थान जयपुर	31.07.2038	एच-903 गांधी नगर
14.	13/2014	श्री गौरव कुमार औदित्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जल संसाधन विभाग, जयपुर	31.12.2045	एच-905 गांधी नगर
15.	4/2018	श्री रामजीलाल शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जन स्वास्थ्य एवं अभियंत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.3.2042	एच-908 गांधी नगर
16.	14/2014	श्रीमती सरोज कंवर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उप सचिव प्रशासन राजस्थान विधानसभा जयपुर	31.7.2034	एच-911 गांधी नगर
17.	15/2014	श्री नैनाराम विश्नोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विशेष न्यायालय एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर जयपुर	28.02.2031	एच-913 गांधी नगर
18.	16/2014	श्री ताराचंद शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रभारी अधिकारी जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर जयपुर	31.08.2042	एच-504 गांधी नगर
19.	7/2018	श्री हुकम चन्द पारीक	31.08.2036	एच-508 गांधी नगर

		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुख्यमंत्री कार्यालय शासन सचिवालय जयपुर		
20.	17/2014	श्रीमती शिखा शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रभारी अधिकारी जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर जयपुर	30.05.2044	एच-534 गांधी नगर
21.	18/2014	श्री सन्नी कुमार बौद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नं. 5 बापूनगर जयपुर	30.06.2050	एच-538 गांधी नगर
22.	19/2014	श्री राजेन्द्र कुमार मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर जयपुर	31.10.2039	एच-549 गांधी नगर
23.	20 / 2018	श्री महेश कुमार उमरवाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.03.2034	एच-553 गांधी नगर
24.	20/2014	श्री अश्वनी कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर	31.01.2049	एच-562 गांधी नगर
25.	21/2014	श्री पुरुषोत्तम सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवाएँ राज0 जयपुर	31.08.2049	एच-563 गांधी नगर
26.	22/2014	श्री सुरेश तारी वार्ड बाय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हरिबक्श कांक्टिया राजकीय जिला चिकित्सालय शास्त्री नगर जयपुर	31.08.2029	एच-568 गांधी नगर
27.	20ए / 2018	श्रीमती संतोष सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.12.2039	एच-573 गांधी नगर

28.	23/2014	श्री प्रताप सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उप निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जयपुर	28.02.2043	एच-577 गांधी नगर
29.	24/2014	श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वीपर पुर्नवास एवं अनुसंधान केन्द्र जयपुर	31.05.2033	एच-578 गांधी नगर
30.	25/2014	श्री रोहिणी शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर जयपुर	28.02.2051	एच-579 गांधी नगर
31.	34 / 2018	श्रीमती मीना देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (ख-3/जांच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.05.2034	एच-586 गांधी नगर
32.	26/2014	श्री योगेश शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधीक्षक कार्यालय एस.एम.एस. चिकित्सालय जयपुर	30.10.2028	एच-589 गांधी नगर
33.	27/2014	श्री अमर सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वरिष्ठ नगर नियोजक (मु.) कार्यालय मुख्य नगर नियोजक राज. जयपुर	13.04.2049	एच-592 गांधी नगर
34.	29/2014	श्री धर्मपाल चांदोलिया कार्यशाला परिचायक प्रबंधक जिला ग्रामीण व्यवसायिक प्रशिक्षण विकास केद्र जयपुर	31.12.2029	एच-596 गांधी नगर
35.	39 / 2018	श्रीमती मधु पारीक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जन अभियोग निराकरण विभाग, शासन सचिवालय जयपुर	31.07.2047	एच-651 गांधी नगर
36.	30/2014	श्री प्रहलाद मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संयुक्त निदेशक (पशुधन सांख्यिकी पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण पशुपालन विभाग जयपुर	28.02.2026	एच-654 गांधी नगर
37.	31/2014	श्री अमित कुमार निर्वाण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संयुक्त निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज.	31.12.2046	6 / 6 गांधी नगर

RajKaj Ref
6452572

	जयपुर		
--	-------	--	--

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क़य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क़य नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर/निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर/निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. उप सचिव, प्रशासन, राजस्थान विधानसभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. पुलिस अधीक्षक, राजस्थान पुलिस सीआईडी विशेष शाखा, जयपुर/अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें। 6452572
7. प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर/भू-प्रबंध अधिकारी, जयपुर/वरि. नगर नियोजक (मु.) कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राज., जयपुर/प्रबंधक, जिला ग्रामीण व्यवसायिक प्रशिक्षण विकास केन्द्र,

- जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. संयुक्त/उप निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, राज., जयपुर/संयुक्त निदेशक (पशुधन सांख्यिकी), पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण, पशुपालन विभाग, जयपुर/अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर/अधीक्षक, पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र, जयपुर/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, हरिबक्श कांवटिया राजकीय जिला चिकित्सालय, शास्त्री नगर, जयपुर/चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नं. 5, बापू नगर, जयपुर/वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा प्रभारी, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, बरकत नगर, जयपुर/पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय सर्वा. महाराजा मण्डल पुस्तकालय, चौड़ा रास्ता, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
 9. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), रेल्वे कोर्ट, जयपुर महानगर/जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर/जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर/विशेष न्यायालय एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
 10. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
 11. वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
 12. **अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।**
 13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
 14. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
 15. अधिशायी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
 16. अधिशायी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
 17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
 18. **संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।**
 19. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
 20. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव